# पूर्वदशम (कक्षा 1-10) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न / FAQ

**उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति,अन्य पिछड़ी जाति तथा दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृति योजना अन्तर्गत आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं द्वारा पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न।**

1) क्या उत्तराखण्ड राज्य में संचालित सभी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए यह योजना उपलब्ध है?

**यह योजना उत्तराखण्ड राज्य में संचालित सभी विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/दिव्यांग छात्र/छात्रा जो उत्तराखंड राज्य के निवासी हों के लिए यह योजना उपलब्ध है।**

2) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए छात्र/छात्रा द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करने की कोई आवश्यकता है?

**छात्र/छात्रा अपने सभी दस्तावेजों को अपने विद्यालय में जमा करेंगे।**

3) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधार नंबर की कोई आवश्यकता है?

**हां, पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आधार नंबर को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य है। आधार नंबर के वेलिडेशन(जांच) सफलता पूर्वक होने के पश्चात ही छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। यदि किसी भी छात्र/छात्रा का आधार कार्ड में अंकित नाम तथा आवेदन पत्र में अंकित नाम एक समान नहीं है तो उसका आवेदन निरस्त हो जायेगा।**

4) पात्र छात्र/छात्रा को देय छात्रवृत्ति की राशि क्या है?

**पात्र छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति की धनराशि शासन द्वारा तय किये गए मानको के अनुसार देय है।**

5) छात्रवृति आवेदन को कौन सत्यापित करता है ? भुगतान कैसे नियंत्रित किया जाता है ?

**राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर छात्र/छात्राओं को छात्रवृति का भुगतान सम्बन्धित जनपद के समाज कल्याण अधिकारी / सहायक समाज कल्याण अधिकारी / शासन द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा छात्रवृति के आवेदनो का सत्यापन करने के पश्चात् ही किया जायेगा।**

**सभी ऑनलाइन आवेदनों के भौतिक सत्यापन के उपरान्त पात्र पाये गये छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान समय-समय निर्गत शासनादेशों में दिए गए निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाता है।**

6) यदि छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले छात्र/छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि के उपरान्त विद्यालय बदला जाता है तो क्या सम्बंधित छात्र/छात्रा का ऑनलाइन आवेदन स्थानान्तरित होगा ?

**नहीं ! ऑनलाइन आवेदन हस्तांतरण के लिए कोई प्राविधान नहीं है।**

7) क्या छात्र/छात्रा का ऑनलाइन आवेदन पत्र किसी भी समय भरा जा सकता हैं?

**नहीं ! छात्र/छात्रा का ऑनलाइन आवेदन पत्र शासन द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही एनएसपी (https://scholarships.gov.in/) पर ऑनलाइन भरा जा सकता हैं।**

8) यदि छात्र/छात्रा का ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाइन अग्रेसित नहीं किया जाता है तो क्या छात्र/छात्रा को छात्रवृति का भुगतान किया जायेगा ?

**नहीं, समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उन्ही आवेदनों पर विचार किया जाता है जो सम्बन्धित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित समाज कल्याण अधिकारी को ऑनलाइन अग्रेसित किये जाते हैं।**

9) यदि किसी अभिभावक के एक से अधिक बच्चों द्वारा छात्रवृति हेतु आवेदन किया गया हो तो क्या एक ही मोबाइल नंबर को एक से अधिक आवेदन पत्र में अंकित किया जा सकता है ?

**छात्र/छात्रा व अभिभावक के द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर एक ही परिवार के एक से अधिक आवेदन पत्रों में अंकित किया जा सकता है।**

10)मार्गदर्शन हेतु :

**टोल फ्री न0 : 1800 180 4236**